न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 04/2022

जी.सी.एम.एस .संख्या:– 2022/1 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. उम्मेदसिंह पुत्र नन्दसिंह
2. [illegible] सिंह पुत्र नन्दसिंह
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र नन्दसिंह
4. [illegible] सिंह पुत्र प्रभूसिंह
5. [illegible]तसिंह पुत्र प्रभूसिंह
6. गोविन्दसिंह पुत्र प्रभू
7. बलराम सिंह पुत्र प्रभू

समस्त जातियान राजपूत निवासी ग्राम पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलार्थीगण।

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र किशनलाल जाति नायक निवासी ग्राम पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

....रेस्पोडेन्ट।

उपस्थित:–

1. श्री श्रीदास सिंह अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

––:: निर्णय ::––

दिनांक:–24.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 04/2022 बउनवान कैलाशचन्द बनाम उम्मेद सिंह में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए, अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 1130 रकबा 0.09 है0,

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

1130/2092 रकबा 0.06 है0, 1131 रकबा 0.02 है0, 1132 रकबा 0.03 है0, 1133 रकबा 0.01 है0, 1134 रकबा 0.01 है0, 141 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त आराजीयात पर कृषि कार्य संपन्न करने हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता खसरा नंबर 1117 रकबा 0.96 है0 की पूर्वी मेड व खसरा नंबर 1135 रकबा 1.14 है0 के पश्चिमी मेड से होकर रहा है। जिसे प्रार्थी हमेशा से ही उपयोग करता आ रहा है। अतः प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि उक्त कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे 10 फीट चौडा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे। मातहत अदालत ने दिनांक 28.01.2022 को निर्णय पारित करते हुए आदेश दिए कि " प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1141, 1130, 1130 ध्2092 1131, 1132, 1133, 1134 ग्राम पीपल्या पटवार मण्डल महापुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा पर आने–जाने हेतु इससे लगता हुआ खसरा नंबर 1117 रकबा 096 है0 किस्म चाही 3 की दक्षिणी–पूर्वी मेड के सहारे 40गुणा4= 160 वर्ग मीटर तथा खसरा नं0 1135 रकबा 114 है0 किस्म चाही 3 की उत्तरी–पूर्वी मेड के सहारे 40गुणा4= 160 वर्ग मीटर अर्थात कुल 320 वर्ग मीटर की डी. एल. सी. दर 369000 रुपये प्रति है० के हिसाब से 11808 रूपये की दुगुनी राशि 23616/– रूपये राशि अप्रार्थी खातेदारान संख्या 1 लगायत 2 को उनके हिस्से के अनुसार दिलवाई जाकर खसरा नंबर 1117 की दक्षिणी–पूर्वी मेड के सहारे 4 मीटर चौड़ा तथा 40 मीटर लम्बा व 1135 की उत्तरी–पूर्वी मेड के सहारे 4 मीटर चौडा तथा 40 मीटर लंबा कुल 320 वर्गमीटर भूमि को नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करे।" उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत किसी काश्तकार द्वारा पूर्व से आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने के उपयोग में लेते आ रहे रास्ते से ही आने जाने हेतु रास्ता लिया जा सकता है। मातहत अदालत द्वारा खसरा नं0 1117 व खसरा नंबर 1135 की मध्य की मेड पर पूर्व से कोई रास्ता नही होते हुए भी नवीन रास्ता देकर एक अहम कानूनी भूल की है; रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया अगर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के सहखातेदारान को पक्षकार बनाया जाता तो अदालत मातहत के समक्ष वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती लेकिन ऐसा नही किया गया। रेस्पोडेन्ट व इसके सहखातेदारान व इसके आस–पास के खेत वाले वर्षों से खसरा नंबर 1098, 1079, 1100 व 1121 में बने हुए रास्ते से आते जाते है तथा अपने कृषि यंत्र लाते ले जाते

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आये है। इन सभी तथ्यों पर बिना गौर किए ही मातहत अदालत ने उक्त निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रदान किया गया रास्ता कभी मौजूद ही नही था। रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत मे गलत तथ्य पेश करते हुए उक्त निर्णय पारित करवा लिया जो खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें। अदालत मातहत द्वारा निर्णय किये जाने के पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यान पूर्वक अवलोकन नही किया। अतः उक्त निर्णय पत्रावली पर मौजूद वास्तविक तथ्यों से परे होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य होने के कारण निरस्त किया जावे, अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।
6. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नंबर 1130 रकबा 0.09 है0, 1130/2092 रकबा 0.06 है0, 1131 रकबा 0.02 है0, 1132 रकबा 0.03 है0, 1133 रकबा 0.01 है0, 1134 रकबा 0.01 है0, 141 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा मे आने जाने के लिए अदालत मातहत द्वारा प्रदान रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अदालत मातहत द्वारा किया गया निर्णय विधि अनुकूल है अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
8. पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबन्दी संवत 2075–78 याके ग्राम पीपल्या पटवार हल्का महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा के अराजी ख. न 1130, 1130/2092, 1131, 1133, 1134 कुल किता 05 रकबा 0.2200 है0, ख0न0 141 में हिस्सा 1/9 कैलाशचन्द पुत्र किशनलाल जाति नाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी ख0न0 1117 उम्मेदसिंह गणपतसिंह, नरपतसिंह व 1135 कजोडसिंह कानसिंह गोविन्दसिंह व बलराम सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। रिपोर्ट तहसीलदार 2207.21 के अनुसार ख0न0 1117 के पूर्वी मेड पर 40गुना4 वर्गमीटर व 1135 के उतरी पूर्वी मेड के सहारे 40गुना4 वर्गमीटर का रास्ता प्रस्तावित किया गया राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि ग्राम पीपल्या पटवार हल्का महापुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा में विवादित अराजीयात खन 1117 व 1135 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर नया आराजी ख0न0 2179/1117 व 2181/1135 नक्शा शीट में तरमीम कर दिया गया है। अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब आवेदन धारा 251–ए रा0का0अ0 यह कथन अंकन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी स्वयं के अराजीयात 1149 किस्म गेमु चाह में अराजी खन 1100, 1121 सिवायचक और उसके आगे ख0न0 1098 व 1079 गे0मु0 रास्ता में से पहुँच है। प्रार्थी का यही कदीमी रास्ता रहा है। अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उपर्युक्त तथ्यों का अंकन सही है; परन्तु रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की विवादित अराजीयात 1130, 1130/2092, 1131, 1133, 1134, 1141 में जाने के लिए फिर भी अन्य खातेदारान की खातेदारी अराजीयात में से होकर जाना पड़ेगा। अर्थात अन्य खातेदारान की खातेदारी आराजीयात में से विधि के अनुसार रास्ता कायम करवाना पड़ेगा। अपीलान्टगणों का अपील मीमों के अनुसार मुख्य बहस यह है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता का आदेश अन्य खातेदारान की अराजीयात में से किया जाये जो कि रेस्पोडेन्टगण की आराजी ख0न0 1149 गै0मु0 चाह व 1130, 1130/2092, 1131, 1133, 1134, 1141 के मध्य स्थित है। प्रथम व द्वितीय स्थिति में नवीन रास्ता कायम किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस प्रकार दोनों स्थितियों के तुलनात्मक दूरी से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत किया गया रास्ता तुलनात्मक रूप से कम दूरी का व अत्यन्त आवश्यकता का है न कि सुविधाजनक।

9. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अदालत मातहत द्वारा मु0न0 27/2020 आदेश दिनांक 28.01.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है। अदालत मातहत के मु0 न0 27/2020 बउनवान कैलाशचन्द बनाम उम्मेद सिंह में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 को यथावत रखा जाता है।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 24.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner